



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 987]
No. 987]नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2002/कात्तिक 29, 1924
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2002/KAITIKA 29, 1924संस्कृति विभाग
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2002

का.आ. 1213(अ).—केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि इससे उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक राष्ट्रीय महत्व के हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का होने की घोषणा करने के अपने आशय की सूचना देती है।

उक्त स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का होने की घोषणा के संयथ में कोई आशय, उक्त स्मारक में निहित किसी व्यक्ति द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर किया जा सकेगा और उस पर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली-110 011 द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

जिला	उप-मण्डल	स्थान	स्मारकों का नाम	संरक्षण के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले रात्रिस्थ भूखण्डों की संख्या	क्षेत्र	स्वामित्व	सीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्व मेदिनीपुर	तामलुक	पदुम्यासन	तामलुक राजघरों	2682 (भाग) 2683 (पूर्ण)	38.60 हेक्तामैल 40.00 हेक्तामैल	श्री बोरन्द्र नारायण राय एवं अन्य	उत्तर 2684 (भाग) 2685 2686	
						—वही—	दक्षिण 2663 (रोड) 2681 (रोड) पूर्व 2681 (रोड) पश्चिम 2682 (भाग) 2657 2663 (रोड)	

2/290
2/12/2002

तमलुक राजवती का स्थल मानचित्र

पदुमबासन, तहसील तामलुक

जिला-पूर्व मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल



0 1 2 3 4 5 किमी.



संरक्षण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र : —————

[फा. सं. 2-14/2002-एम]

जे. आर. अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

DEPARTMENT OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2002

S.O. 1213(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection to the declaration of the said monument to be of national importance, may be made within a period of two months from the date of issue of this notification in the Official Gazette, by any person interested in the said monument, which will be taken into consideration by the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi-110 011.

SCHEDULE

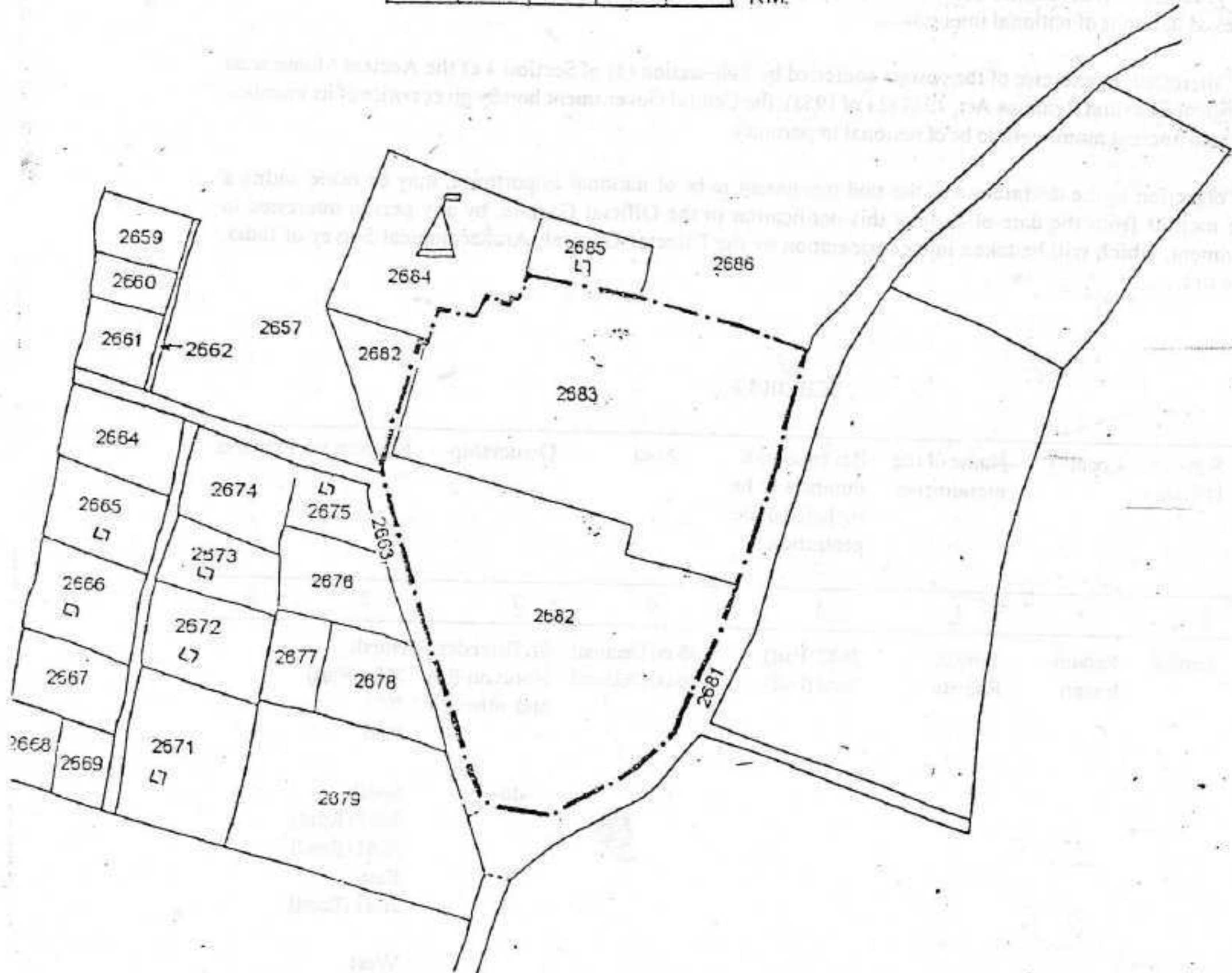
District	Sub-Division	Locality	Name of the monuments	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Ownership	Boundaries	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Purba Medinipur	Tamluk	Padum-basan	Tamluk Rajbati	2682 (Part) 2683 (Full)	38.60 Decimal 40.00 Decimal	Sri Birendra Narayan Roy and others.	North 2684 (Part) 2685 2686	
						—do—	South 2663 (Road) 2681 (Road) East 2681 (Road)	
							West 2682 (Part) 2657 2663 (Road)	

233(A)

SITE PLAN OF
TAMLUK RAJBATI
AT PADUMBASAN, TEHSIL TAMLUK,
DISTT. PURBA MEDINIPUR (W.B.)



0 1 2 3 4 5 KM.



AREA PROPOSED FOR PROTECTION

[F. No. 2-14/2002-M]

J. R. AGGARWAL, Director (Adm.)